

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	1- योजना के अन्तर्गत प्रमाणित बीजों पर (गेहूँ/धान) 10 वर्ष तक की प्रजातियों पर ₹0 10/किग्रा0 का अनुदान अनुमन्य है। 2- घटक विभागों को भी योजना अन्तर्गत कृषकों को कृषि विकास कार्यक्रमों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाइट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।